

आदेश संख्या 16/2024-25
वाद का प्रकार ऑनलाईन पंजी II में रैयत के नाम में सुधार करने संबंधी

कार्यालय अंचल अधिकारी, बरकटठा, हजारीबाग
आदेश पत्रक

आदेश की
क्रम सं० एवं
तिथि

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई की टिप्पणी

1.10.24

आवेदक रीतलाल प्रसाद पिता टहल महतो ग्राम तुइयो थाना बरकटठा द्वारा आवेदित किया गया है कि मौजा तुइयो थाना सं० 50 के खाता सं० 2 प्लॉट सं० 1975 रकबा 32 डी० भूमि मेरे पूर्वज को केवाला द्वारा हासिल है। जिसकी जमावंदी पंजी II के भाग वर्तमान 1 पृष्ठ संख्या 272 पर धरमी देवी वगै० के नाम से दर्ज है। ऑनलाईन पंजी II में जो गलत प्रविष्टि है उसे निम्नवत् सुधार करने का अनुरोध किया गया है।

क्र०	रैयत का नाम	गलत प्रविष्टि की विवरणी	जो सुधार करना है
1	रैयत का नाम	सीता देवी	शांति देवी

आवेदन पत्र के साथ वर्ष 2016-17 का ऑफलाइन लगान रसीद सं० A 163626 की छायाप्रति, वर्ष 2023-24 का ऑनलाईन लगान रसीद सं० 0906822037 की छायाप्रति तथा केवाला की छायाप्रति संलग्न है।

आवेदन पत्र की मूल प्रति अनुलग्नक सहित संलग्न कर जाँच हेतु संबंधित हल्का राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक को भेजें। आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 17.10.24 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
बरकटठा

अभिलेख उपस्थापित /

संबंधित हल्का राजस्व उप निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा तुइयो थाना सं० 02 खेला नं० 1975 रकबा 0.47 डी० सर्वे तालिमान में नकसत दर्ज है। ऑफलाइन पंजी II के पृष्ठ सं० 272 पर खाता सं० 02 खेला नं० 1975 रकबा 32 डी० धरमी देवी पति कुशल महता, शांति देवी पति टहल महता, रीतली देवी पति जनक महता टेकनी देवी पति कल्याण महता दर्ज हैं। ऑनलाईन पंजी II के भाग वर्तमान 1 पृष्ठ सं० 272 पर

बकाया सं० २ खेतरा सं० 1975 खरबा 32 जी०
 चरणी देवी, खीरा देवी, रितनी देवी, टंकनी
 देवी दर्ज हैं। उक्त अग्नि रैयत खेतरा का है
 एवं CMA Act के अन्तर्गत आता है। उक्त
 अग्नि रैन. रैन., वन अग्नि कर्मिगण, केलेरें हिन्द
 आदि से मुक्त है। खेतन उप निरीक्षक द्वारा
 जाय में सुझाव करने का अनुमति दिया
 गया है। जूनल अमीन द्वारा प्रतिक्रिया दिया
 गया है कि उक्त अग्नि पर जमाने रैयत के
 वंशदाता का मौलिक दावत है। जूनल निरीक्षक
 द्वारा ऑनलाइन पंजी II के सं० न० 274 I
 मर खीरा देवी के हजान पर मौलिक देवी
 का नाम सुझाव करने का अनुमति दिया
 गया है।

अतः आवदन के साथ मिलान बाकाया
 शा. उप निरीक्षक, जूनल अमीन एवं सहायक
 निरीक्षक के अनुमति प्रतिक्रिया के आधार
 पर मौजा तहसील खेतरा सं० 02 खेतरा 1975
 खरबा 32 जी० से संबंधित online पंजी II के
 भाग वर्तमान I दृष्ट सं० 272 पर रैयत
 का नाम खीरा देवी के हजान पर मौलिक
 देवी करने का अनुमति प्रदान किया
 जाता है।

लेखापति एवं संग्रहपति /

जूनल कर्मिगण
 वरकटा

जूनल कर्मिगण
 वरकटा